33/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.8.19	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय ~~दूसरे~~ कार्य में व्यस्त है। इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक 6.9.19 को पेश है।	
6.9.15	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 3 से 10 एकतरफा। विप्रार्थी संख्या 02 के वकालतनामा व जवाब विप्रार्थी संख्या 01 हेतु दिनांक 27.9.15 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	
27.9.15	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय ~~दूसरे~~ कार्य में व्यस्त है। इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक 01.11.15 को पेश है।	
01.11.15	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय ~~दूसरे~~ कार्य में व्यस्त है। इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक 22.11.19 को पेश है।	
22/11/19	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। विप्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के अधिवक्ता को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के विप्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। विप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर मिसल की आदेश पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद सीरवी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 35/2019

प्रार्थीगण

1. चिमनाराम पुत्र भानाराम
2. रणछोड़राम पुत्र भानाराम
3. भेराराम पुत्र भानाराम
4. गणेशराम पुत्र मोतीराम
5. गोबरराम पुत्र मोतीराम
6. विष्णुराम पुत्र मोतीराम
7. मादाराम पुत्र नेतीराम
8. सूजाराम पुत्र नेतीराम
9. सुकी पत्नी नेतीराम
10. नेमाराम पुत्र राजीराम
11. फूली पत्नी राजीराम
12. बाबूराम पुत्र भूराराम
13. जगाराम पुत्र भूराराम
14. रामाराम पुत्र भूराराम
15. हरकू पत्नी भूराराम
16. भोलाराम पुत्र मोडाराम
17. तिलोकाराम पुत्र मोडाराम
18. मंजू पुत्री घीसाराम
19. सुन्दर पुत्री घीसाराम
20. दीपाराम गोदपुत्र घीसाराम
21. वागाराम पुत्र प्रभुराम
22. मांगाराम पुत्र प्रभुराम
23. हरीराम पुत्र प्रभुराम
24. सुखी पत्नी प्रभुराम
25. उम्मेदाराम पुत्र सोनाराम
26. मंगलाराम पुत्र सोनाराम
27. मेती उर्फ मेथीबाई पत्नी सोनाराम
28. हडमानाराम पुत्र गुलाराम
29. कानाराम पुत्र गुलाराम
30. धूनाराम पुत्र नानगराम
31. हडमानराम पुत्र नानगराम
32. रूपेश पुत्र टीलाराम
33. जीतू पुत्र टीलाराम
34. पांचीदेवी पत्नी टीलाराम
35. अनाराम पुत्र आसाराम
36. हिन्दूराम पुत्र पीथाराम
37. नेमाराम पुत्र ताम्बाराम
38. मेहराराम पुत्र पीथाराम
39. राणाराम पुत्र डायाराम
40. अन्नाराम पुत्र डायाराम
41. स्वर्गीय कानाराम पुत्र वागाराम के कायम मुकाम:-
    1. घमण्डाराम पुत्र कानाराम
    2. मदाराम पुत्र कानाराम
    3. हंसाराम पुत्र कानाराम
42. मुकनाराम पुत्र वागाराम
43. दूदाराम पुत्र वागाराम
44. दौलाराम पुत्र वागाराम
45. नाबालिग प्रार्थी संख्या 32 रूपेश, 33 जीतू कुदरती वलीया माता प्रार्थी संख्या 34 पांचीदेवी जाति चौधरी निवासी करमावास तहसील समदडी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भोपालसिंह पुत्र गुलाबसिंह

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

2. गुलाबसिंह पुत्र समेलसिंह
3. बाबूसिंह पुत्र समेलसिंह
4. धूडसिंह पुत्र जेठूसिंह
5. जालमसिंह पुत्र जेठूसिंह
6. गणपतसिंह पुत्र गुमानसिंह
7. उत्तमसिंह पुत्र गुमानसिंह
8. हुकमसिंह पुत्र नेनसिंह
9. सरपंच ग्राम पंचायत करमावास
10. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार समदडी जिला बाड़मेर

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128</u>
<u>राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–: आदेश :–

दिनांक :– 28/11/19

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु दिनांक 22.11.2019 को तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने एवं विप्रार्थीगण संख्या 3 ता 10 के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पूनमचन्द रामदेव की की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा करमावास पटवार मण्डल करमावास तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 356 रकबा 35–16 बीघा, खसरा नम्बर 357 रकबा 28–05 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माते नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा करमावास पटवार मण्डल करमावास तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 356 रकबा 35–16 बीघा, खसरा नम्बर 357 रकबा 28–05 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

समदडी को 500/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.11.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद सीरवी)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2020.01.23 16:22:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: